कार्रवाई अध्यादेश की मंजूरी के बाद तत्काल कार्यवाही प्रारंभ, मवेशियों को सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर खुला नहीं छोड़ सकेंगे

# मवेशियों को खुला छोडऩे पर 4 मवेशी पालकों पर एक-एक हजार का जुर्माना

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क 30-4-22

मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संयोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर में ऐसे मवेशी पालक जो कि जानबूझकर अपने मवेशियों को सडकों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर खुला छोड़ देते है उन पर जुर्माने की कार्यवाही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा प्रारंभ कर दी गई जिसके तहत 4 मवेशी पालकों पर 1000-1000 की राशि का जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम रतलाम द्वारा मवेशी पालकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है जिसके तहत तैलियों की सडक व त्रिवेणी मुक्तिधाम रोड पर मवेषी पालक सुनील राठौर, अशोक राठौर, नितिन राठौर व जगदीश राठौर द्वारा अपने मवेशियों को खुला छोडने पर 1000-1000 का जुर्माना किया गया यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

## तो किया जाएगा जुर्माना

ऐसे मवेशी पालक जो कि रतलाम नगर की सडकों, चौराहे, सार्वजनिक स्थानों आदि क्षेत्रों में अपने मवेशियों को खुला छोड़ेंगे तो संबंधित मवेशी पालक के विरूद्ध 1000 की राशि का जुर्माना किया जायेगा।

राज न्यूज नेटवर्क 29/4/22

# मवेशी खुले छोड़ने पर जुर्माना

## अध्यादेश की मंजूरी के साथ ही रतलाम में कार्रवाई शुरू

प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सिंह जुर्माने की कार्रवाई करते।

रतलाम, नप्र। मवेशियों को खुला छोड़ने पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अरविन्दप्रतापसिंह ने कल शहर में अलग-अलग कार्रवाई कर चार मवेशी पालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य अमले ने प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अरविन्दप्रतापसिंह की अगुवाई में कार्रवाई कर ऐसे मवेशी पालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की जिन्होंने अपने मवेशियों को खुला छोड रखा था। तैलियों की सड़क व त्रिवेणी मुक्तिधाम रोड पर मवेशी पालक सुनील राठौर, अशोक राठौर, नितिन राठौर व जचगदीश राठौर पर मवेशी को खुला छोड़ने पर एक-एक हजार का जुर्माना किया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष नगर पालिक विधि संसोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही नगर निगम रतलाम ने मवेशी पालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो लगातार जारी रहेगी। ऐसे मवेशी पालक जो कि जानबूझकर अपने मवेशियों को सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक जगहों आदि पर खुला छोड़ देते है वे जुर्माने की कार्यवाही से बचने के लिए मवेशियों को खुला ना छोड़कर बांधकर रखे। ऐसे मवेशी पालक जो कि रतलाम नगर की सड़कों, चौराहो, सार्वजनिक स्थानों आदि क्षेत्रों में अपने मवेशियों को खुला छोड़ेंगे तो संबंधित मवेशी पालक के खिलाफ एक हजार का जुर्माना किया जाएगा। 28 प्रजा

## वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

# 14 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

## दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

स्वतंत्र मेलान

रतलाम ।कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 27 अप्रैल को प्रातः. 10 व दोपहर में 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा। 27 अप्रैल बुधवार को झोन क्रमांक 1 में बादल-दिलीप, अजय-विनोद, उमेष-प्रहलाद, विजय-सुरेष, झोन क्रमांक 2 में नितिन-कमल, मोहित-गोपाल, रमेष-मुंषी, महेन्द्र-नेहरू, रवि-सुरेष, इन्द्राबाई पति दिनेष, दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में उशाबाई पति मनोहर, अनिताबाई पति दीपक, कलाबाई पति पिस्तोल, झोन क्रमांक 2 में नरेन्द्र-कन्हैया इस तरह 14 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

# श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें

**रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही**

रतलाम । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेअन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेअन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्श 100/- रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी। नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

स्वतंत्र मेलान
29/4/2022

## 14 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

**दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पूरे दिन का वेतन**

### बिना सूचना के 3 दिवस अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पूरे दिवस का वेतन काटा जायेगा। 27 अप्रैल बुधवार को झोन क्रमांक 1 में बादल-दिलीप, अजय-विनोद, उमेश-प्रहलाद, विजय-सुरेश, झोन क्रमांक 2 में नितिन-कमल, मोहित-गोपाल, रमेश-मुंशी, महेन्द्र-नेहरू, रवि-सुरेश, इन्द्राबाई पति दिनेश, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में उशाबाई पति मनोहर, अनिताबाई पति दीपक, कलाबाई पति पिस्तोल, झोन क्रमांक 2 में नरेन्द्र-कन्हैया इस तरह 14 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

## 30 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

प्रसारण न्यूज * रतलाम

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रात: 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चैक किया गया, जिसके तहत 28 अप्रैल को प्रात: 12 व दोपहर में 18 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रात: की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पूरे दिवस का वेतन काटा जाएगा। गुरूवार को झोन क्रमांक 1 में मीराबाई पति राजू, पप्पू-रमेश, मनोज-देवकरण, बादल-दिलीप, अजय-विनोद, विजय-फूलचन्द, उमेश-प्रहलाद, झोन क्रमांक 2 में अमिशाबाई पति जितेन्द्र, कमल-सुल्तान, राकेश-रामप्रसाद, संजय-बच्चू, झोन क्रमांक 3 में विनोद-चरण, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 1 में विक्की-दिनेश, सतीष-गोवर्धन, सुनील-सोहनलाल, झोन क्रमांक 2 में सरवन-प्रकाश, राजेश-रामप्रसाद, इन्द्राबाई पति दिनेश, विमलाबाई पति बंशी, कृष्णाबाई-बसंतीलाल, अनिता पति दीपक, दीपक-अत्री, शिवकन्या पति रमेश, महेन्द्र-नेहरू, भागाबाई पति बसंतीलाल, उषाबाई पति मनोहर, विनोद-भेरू, राकेश-राजु, झोन क्रमांक 3 में नरेन्द्र-कन्हैया व रमेश-कालू इस तरह 30 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है, उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जाएगी।

प्रसारण

# नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में हुई चर्चा

## समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश

**रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क**

नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सुत्रीय मांगो के निराकरण के संबंध में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की।

### बैठक आयोजित

नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सुत्रीय मांगो के संबंध में चर्चा करते हुए 12 जायज मांग पर निगम आयुक्त ोमनाथ झारिया ने सहमति प्रदान मांगो का समय-सीमा में ण किये जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री सत्यप्रकाश आचार्य, लेखाधिकारी विजय बालोद्रा, निज सहायक सुभाष गोयल, सहायक वर्ग-2 गोपाल झालीवाल, सहायक वर्ग-3 प्रकाश चौहान, नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सर्वश्री राजेन्द्रसिंह राठौर, हेमन्त सोलंकी, इलियास मंसूरी, कुलदीप भट्ट, कैलाश गेहलोत, हेमन्त बन्दोडिया, मनीश परिहार, जयदीप गोहिल, योगेष कपूर, विषाल भटनागर आदि उपस्थित थे।

# कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में हुई चर्चा

**रतलाम ●** नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की।

नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगों के संबंध में चर्चा करते हुए 12 जायज मांग पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सहमति प्रदान कर मांगों का समय-सीमा में निराकरण किए जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री सत्यप्रकाश आचार्य, लेखाधिकारी विजय बालोद्रा, निज सहायक सुभाष गोयल, सहायक वर्ग-2 गोपाल झालीवाल, सहायक वर्ग-3 प्रकाश चौहान, नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी राजेन्द्रसिंह राठौर, हेमन्त सोलंकी, इलियास मंसूरी, कुलदीप भट्ट, कैलाश गेहलोत, हेमन्त बन्दोड़िया, मनीष परिहार, जयदीप गोहिल, योगेश कपूर, विशाल भटनागर आदि उपस्थित थे।

# नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगो के निराकरण के संबंध में हुई चर्चा

रतलाम। नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सुत्रीय मांगो के निराकरण के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की। नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सुत्रीय मांगो के संबंध में चर्चा करते हुए 12 जायज मांग पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सहमति प्रदान कर मांगो का समय-सीमा में निराकरण किये जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देषित किया। आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेषचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ षेक्ष, जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री सत्यप्रकाष आचार्य, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, निज सहायक श्री सुभाश गोयल, सहायक वर्ग-2 श्री गोपाल झालीवाल, सहायक वर्ग-3 श्री प्रकाष चौहान, नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सर्वश्री राजेन्द्रसिंह राठौर, हेमन्त सोलंकी, इलियास मंसूरी, कुलदीप भट्ट, कैलाष गेहलोत, हेमन्त बन्दोडिया, मनीश परिहार, जयदीप गोहिल, योगेष कपूर, विषाल भटनागर आदि उपस्थित थे।

# प्रतापनगर ब्रिज के नीचे अतिक्रमण हटाया

रतलाम। शहर के प्रतापनगर ब्रिज के नीचे अतिक्रमण कर भूसा रखने के मामले में सेतू निगम ने सज्जाद कुरैशी के खिलाफ स्टेशन रोड थाना पर शिकायत की है। बुधवार को वहां अतिक्रमण हटवाया गया ।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार शाम ब्रिज के नीचे कब्जा कर रखे भूसे में आग लग गई थी। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई थी। आग में एक मवेशी भी झुलस गया था। सज्जाद कुरैशी ने ब्रिज के नीचे कब्जा कर मवेशी बांधने का बाड़ा बना रखा था। उसमें रखे भूसे में आग लग गई थी। सेतू निगम के एसडीओ आरके गुप्ता ने स्टेशन रोड थाने पर कुरैशी के खिलाफ शिकायत की है।

1
5/3/21

# नेशनल लोक अदालत का 14 मई को होगी आयोजित

## निगम के करो की बकाया राशि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

प्रसारण न्यूज * रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 14 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय मे किया गया है। आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक तथा रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मई 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ उठावें।

प्रसारण

## मवेशियों को खुला छोड़ने पर 4 मवेशी पालकों पर 1000-1000 का जुर्माना

रतलाम । मध्यप्रदेष नगर पालिक विधि संषोधन अध्यादेष के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर में ऐसे मवेषी पालक जो कि जानबूझकर अपने मवेषियों को सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर खुला छोड़ देते है उन पर जुर्माने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषन में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा प्रारंभ कर दी गई जिसके तहत 4 मवेषी पालकों पर 1000-1000 की राषि का जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष नगर पालिक विधि संषोधन अध्यादेष के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम रतलाम द्वारा मवेषी पालकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है जिसके तहत तैलियों की सड़क व त्रिवेणी मुक्तिधाम रोड पर मवेषी पालक सुनील राठौर, अषोक राठौर, नितिन राठौर व जगदीष राठौर द्वारा अपने मवेषियों को खुला छोड़ने पर 1000-1000 का जुर्माना किया गया यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

## कचरा, गंदगी व अतिक्रमण करने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 28 अप्रैल को 10 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार शाहरूख अंसारी, गोस्वामी ऑटो गैरेज, भवानी ऑटो पार्ट्स, त्रिदेव गैस अप्लायसेंस, शंकर प्रजापत पर 2000-2000, शंकेश्वर मेडिकल पर 1500, साईं मेडिकल एजेन्सी पर 1500, लखन बैण्ड, गोपाल बैण्ड व हबीब खान पर 500-500 रूपए का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

## 27 अप्रैल मंगलवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 252 ट्रीप

### 115 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेन्चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 27 अप्रैल बुधवार को 115 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेन्चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया। 27 अप्रैल बुधवार को डम्पर से 33515 किलो, टेक्टर से 8340 किलो, मैजिक सूखा कचरा 49630 किलो, मैजिक गीला कचरा 24095 किलो इस तरह कुल 115580 किलो कचरा जुलवानिया टेन्चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया

# निर्माण अनुमति में जरूरी नजूल एनओसी समाप्त कराने की मांग

विधायक चेतन्य काश्यप को ज्ञापन सौंपते हुए मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी। • नईदुनिया

**रतलाम।** भाजपा सूरजमल जैन मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी ने विधायक चेतन्य काश्यप को ज्ञापन देकर निर्माण अनुमति में लगने वाली जरूरी नजूल एनओसी समाप्त कराने की मांग की है।

काश्यप ने इस संबंध में प्रशासन से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम द्वारा वर्तमान में 2400 वर्गफीट अथवा इससे अधिक भूमि पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने वालों से नजूल एनओसी की मांग की जा रही है, जो पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ रतलाम नगर निगम ही कर रही है। प्रदेश में कई अन्य स्थान पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि कालोनी के विकास के पूर्व नजूल एनओसी मिलने पर ही विकास की अनुमति दी जाती है। शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण अनुज्ञा स्वामित्व के भूखंड पर ही प्राप्त की जाती है। ऐसी स्थिति में नजूल एनओसी मांगना न्याय संगत ना होकर मानसिक व आर्थिक पीड़ा देने वाला कदम है। गांधी ने कहा कि नजूल एनओसी राजस्व विभाग में तहसीलदार एवं एसडीएम प्रदान करते हैं। इसमें आवेदकों को काफी चक्कर लगाना पड़ते हैं। नगर निगम की इस शर्त के कारण नागरिकों में शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। काश्यप से उन्होंने तत्काल इस एनओसी की मांग समाप्त कराने का आग्रह किया। ज्ञापन देते समय मंडल महामंत्री हेमंत राहोरी उपस्थित थे। जानकारी भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने दी।

नईदुनिया

# विधायक से निर्माण अनुमति में नजूल एनओसी समाप्त कराने की मांग

प्रसारण न्यूज • रतलाम

29-5-22

भाजपा सूरजमल जैन मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी ने विधायक चेतन्य काश्यप को ज्ञापन देकर निर्माण अनुमति में लगने वाली नजूल एनओसी समाप्त कराने की मांग की है। श्री काश्यप ने इस संबंध में प्रशासन से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी ने बताया कि नगर निगम द्वारा वर्तमान में 2400 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक भूमि पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने वालों से नजूल एनओसी की मांग की जा रही है, जो पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ रतलाम नगर निगम ही कर रही है। प्रदेश में कई अन्य स्थान पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी के विकास के पूर्व नजूल एनओसी मिलने पर ही विकास की अनुमति दी जाती है। शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण अनुज्ञा स्वामित्व के भूखण्ड पर ही प्राप्त की जाती है। ऐसी स्थिति में नजूल एनओसी मांगना न्याय संगत ना होकर मानसिक एवं आर्थिक पीड़ा देने वाला कदम है। श्री गांधी ने कहा कि नजूल एनओसी राजस्व विभाग में तहसीलदार एवं एसडीएम प्रदान करते हैं जिसमें आवेदकों को काफी चक्कर लगाना पड़ते हैं। नगर निगम की इस शर्त के कारण नागरिकों में शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।

श्री काश्यप से उन्होंने तत्काल इस एनओसी की मांग समाप्त कराने का आग्रह किया। ज्ञापन देते समय मंडल महामंत्री हेमन्त राहोरी उपस्थित थे। यह जानकारी भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी अरूण त्रिपाठी ने दी।

प्रसारण

# बाबुओं को बताना होगा ऑनलाइन परफॉर्मेंस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**भोपाल.** राज्य सरकार में नई व्यवस्था के तहत अब बाबुओं को ऑनलाइन परफॉर्मेंस बताना होगा। इसी के तहत काम-काज का आकलन होगा। सीआर भी इसी आधार पर लिखी जाएगी। नई व्यवस्था की शुरुआत मंत्रालय से हो रही है। बाबुओं को 30 जून तक का समय दिया गया है। राज्य मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

पूरा मामला कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली से जुड़ा है। वर्तमान में गोपनीय चरित्रावली ऑफलाइन लिखी जाती थी, लेकिन सरकार अब इसे ऑनलाइन करने जा रही है। पेपरलैस वर्किंग के तहत यह काम हो रहा है। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश में कहा गया है कि मंत्रालय सेवा के तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों (सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, निज सहायक एवं तकनीकी सहायक) के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। सभी कर्मचारी अपना कार्य 30 अप्रेल तक सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। साथ ही कर्मचारी अपनी शासकीय ई-मेल आइडी से लॉगइन कर 30 जून के पहले स्वमूल्यांकन कर अपना गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरें। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव माधवी नागेन्द्र के हस्ताक्षर से जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब गोपनीय प्रतिवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पत्रिका

# 30 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

## दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन, बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 28 अप्रैल को प्रातः 12 व दोपहर में 18 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा। गुरूवार को झोन क्रमांक 1 में मीराबाई पति राजू, पप्पू-रमेश, मनोज-देवकरण, बादल-दिलीप, अजय-विनोद, विजय-फुलचन्द, उमेश-प्रहलाद, झोन क्रमांक 2 में अमिशाबाई पति जितेन्द्र, कमल-सुल्तान, राकेश-रामप्रसाद, संजय-बच्चू, झोन क्रमांक 3 में विनोद-चरण, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 1 में विजे...नेश, सतीष-गोवर्धन, सुनील-सोहनलाल, झोन क्रमांक 2 में सरवन-प्रकाश, राजेश-रामप्रसाद, इन्द्राबाई पति दिनेश, विमलाबाई पति बंशी, कृष्णाबाई-बसंतीलाल, अनिता पति दीपक, दीपक-अत्री, शिवकन्या पति रमेश, महेन्द्र-नेहरू, भागाबाई पति बसंतीलाल, उषाबाई पति मनोहर, विनोद-भेरू, राकेश-राजु, झोन क्रमांक 3 में नरेन्द्र-कन्हैया व रमेश-कालू इस तरह 30 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी। इन्दौर

29-4-22

इन्दौर समाचार

# रात्रि कालीन सफाई के 19 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा 26 अप्रैल मंगलवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 19 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

26 अप्रैल मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी मंगल-बाबुलाल गोहर, शेखर-सोहनलाल, सत्री-मुकेश, दीपक-रतन, संतोश-जवरचन्द, अमित-कमल, आनन्द-बाबुलाल, पंकज-फिरोज, दीपक-पुनमचन्द, विजय-सुरेश, नवीन-फिरोज, शैलेन्द्र-रतनलाल, राकेश-दुलीचन्द, ओमप्रकाश-नन्दलाल, नरेन्द्र-नवीन, रोहित-प्रभुदयाल, उमेश-दषरथ, हीरा-श्यामलाल व पर्वत-ईश्वर बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

29/4/22

# निर्माण अनुमति में नजूल एनओसी समाप्त कराएं

रतलाम | निर्माण अनुमति में लगने वाली नजूल एनओसी के नियम समाप्त करने का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। बुधवार को भाजपा सूरजमल जैन मंडल अध्यक्ष नीलेश गांधी ने विधायक चेतन्य काश्यप को ज्ञापन सौंपा। विधायक काश्यप ने प्रशासन से चर्चा कर निराकरण के प्रयास का आश्वासन दिया। मंडल अध्यक्ष गांधी ने नगर निगम 2400 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक आकार वाले प्लॉट पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने वालों से नजूल एनओसी मांग रहा है। ऐसा पूरे प्रदेश में सिर्फ रतलाम में हो रहा है। इस शर्त के कारण नागरिकों में शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। मंडल महामंत्री हेमंत राहोरी उपस्थित रहे।

भास्कर

## सुविधाएं बढ़ाएंगे

रतलाम | सैनिकों, पूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों की समस्या सुलझाने के लिए त्रैमासिक बैठक गुरुवार को हुई है। सैनिक कालोनी में बिजली के पोल का काम शुरू कर दिया जाएगा। कमेटी बनाएंगे जो 26 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया करेगी।

भास्कर

# ट्रांसपोर्ट नगर : कम कीमत पर मिलेंगे प्लॉट क्योंकि 31 नहीं 25 करोड़ में बनेगा, मई से शुरू होगा काम

## सरकारी दर से 21 प्रतिशत कम का ऑफर देने से लोकल कंपनी को जिम्मा, चार कंपनियों में था मुकाबला

**भास्कर एक्सक्लूसिव** 3-2-5

शिवेंद्र दुबे | रतलाम

मई में सालाखेड़ी की 18 हेक्टेयर जमीन पर ट्रांसपोर्ट आकार लेना शुरू कर देगा। अच्छी बात यह है कि इसमें 99 ट्रांसपोर्टर्स को कम कीमत पर प्लॉट मिलेंगे क्योंकि अब इस पर 31.38 नहीं 25 करोड़ ही खर्च होंगे। यह स्थिति कंपनियों की खींचतान के कारण बनी है। रतलाम विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने 31 करोड़ की लागत वाला टेंडर जारी किया था। गुरुवार को प्राधिकरण के ईई जयकुमार मीणा की देखरेख में फाइनेंशियल बीड खुली। मुकाबले में चार कंपनियां थी, लेकिन लोकल कंपनी ने सरकारी दर से 21 प्रतिशत कम का ऑफर देकर टेंडर अपने नाम कर लिया। ट्रांसपोर्ट नगर बनने से शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि दस से ज्यादा इलाकों का भारी यातायात का दबाव कम हो जाएगा। आरडीए ने सीमांकन करके कब्जा लेकर नजूल को दो करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। 15 से 20 दिन में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में टेंडर पास होने के बाद ठेकेदार कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा।

### ट्रांसपोर्ट नगर में अभी ये भी किया जाना प्रस्तावित है

**पीएमसी टेंडर-** आरडीए में इंजीनियरों में कमी है, इसलिए प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) कंपनी को टेंडर निकालकर जिम्मा दिया जाएगा।

**बिजली लाइन -** कनेक्शन और लाइन डालने के लिए प्राधिकरण ने बिजली कंपनी से एस्टीमेट मांगा है। यह मिलने के बाद इसके लिए अलग से टेंडर निकलेंगे।

**यहां हैवी ट्रैफिक से छुटकारा -** सालाखेड़ी फोरलेन, स्टेशन रोड, फ्रीगंज, पॉवर हाउस रोड, धानमंडी, हरमाला रोड, संत रविदास चौराहा, विरियाखेड़ी, बाजना बस स्टैंड, सैलाना रोड आदि।

*ट्रांसपोर्ट नगर का एक माह में शुरू काम हो जाएगा। प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट था, मॉनीटरिंग कर रहे थे। इससे ट्रांसपोर्टर्स को व्यवसाय करने में सुविधा होगी, तो शहर के भारी यातायात में भी कमी आएगी।*

**चेतन्य काश्यप,** विधायक

भास्कर

# कलेक्टर के समक्ष कहा सैनिक कॉलोनी में सुविधाएं विकसित की जाएगी

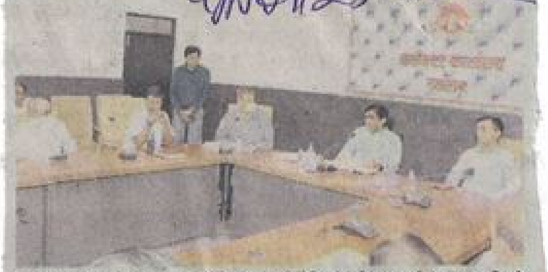

रतलाम. जिले के समस्त सैनिकों, पूर्व सैनिकों, विधवाओं तथा आश्रितों की समस्यों सुलझाने के लिए त्रैमासिक बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इरफान अली ने सैनिक कालोनी की समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्देशित किया कि सैनिक कालोनी में एक माह में विद्युल पोल का कार्य आरम्भ कर दिया जाए तथा जिन आवंटितों ने लीज का उल्लंघन किया है, उनकी लीज निरस्त की जाए। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो खाली पडे 26 भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया आरम्भ करेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, ग्रुप कैप्टन इरफान अली खान तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पत्रिका

# सैनिक कॉलोनी में सुविधाएं विकसित की जाएगी

रतलाम। जिले के समस्त सैनिकों, पूर्व सैनिकों, विधवाओं तथा आश्रितों की समस्या सुलझाने हेतु त्रैमासिक बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, ग्रुप कैप्टन इरफान अली खान तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इरफान अली ने सैनिक कालोनी की समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोतम ने निगम आयुक्त श्री झारिया को निर्देशित किया कि सैनिक कालोनी में एक माह में विद्युल पोल का कार्य आरम्भ कर दिया जाए तथा जिन आवंटितों ने लीज का उल्लंघन किया है, उनकी लीज निरस्त की जाए। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो खाली पडे 26 भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया आरम्भ करेगी।

प्रभात

# गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। नगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये। प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

29/4/22

# नगर निगम के विभिन्न करों से 10.17 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास षाखा, बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 27 अप्रैल को कुल राषि रूपये 10,17,522/- का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 27 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 320615, वसूली दल 201556 कुल 522171, जलकर कार्यालय से 221320, वसूली दल 74140 कुल 295460, स्पॉट फाईन 13500, लायसेंस 63741, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 122650 इस तरह कुल राषि रूपये 10,17,522/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

# जिले की 5 सबसे खराब प्रदर्शन वाली एनएम कार्यकर्ताओं को निलंबित करें

## जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

रतलाम ● स्वदेश समाचार 29-4-22

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्वास्थ्य योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा प्रथम प्रसव पूर्व जांच की डाटा एंट्री लगभग सभी विकासखंडों में गलत पाई गई। अत्याधिक त्रुटिपूर्ण डाटा एंट्री पर कलेक्टर द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी गई कि तीन दिवस में डाटा एंट्री में शत-प्रतिशत सुधार किया जाए अन्यथा एनएचएम अंतर्गत ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर का 1 माह का वेतन काटा जा कर राजसात कर लिया जाएगा।

इसी प्रकार डाटा एंट्री में एएनएम की भूमिका को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ननावरे को निर्देशित किया कि जिले की 5 सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली एनएम कार्यकर्ताओं को निलंबित किया जाएं। उनके विभागीय जांच करके सेवा समाप्त की जाएं। बैठक के दौरान जिले में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने गर्भवती माताओं और नवजात शिशु की प्रोटोकॉल अनुसार देखभाल करते हुए मातृ और शिशु मृत्यु में कमी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मातृ मृत्यु का कोई भी मामला संज्ञान में आते ही इसकी रिपोर्ट सीधे प्रस्तुत की जाए। शिशु मृत्यु मामलों की प्रत्येक मामले की प्रति माह मासिक रिपोर्ट सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत की जाए।

मातृ एवं शिशु मृत्यु के मामलों की प्रत्येक माह के प्रथम टीएल के दौरान विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। प्रथम त्रैमास में गर्भवती महिलाओं की शत-प्रतिशत प्रविष्टि करते हुए गर्भवती माताओं को सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाए। जिले में गर्भवती माताओं और शिशुओं की अनमोल पर कम प्रविष्टि पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

कलेक्टर द्वारा इस संबंध में 3 दिन की समयसीमा में लक्ष्यपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिले में सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली 5 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के नाम प्रस्तावित कर निलंबन की कार्रवाई करें एवं विधिवत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कर सेवा समाप्त संबंधित कार्रवाई की जाए। उन्होंने एनएचएम अंतर्गत कार्यरत ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर का सात दिवस का वेतन अथवा मानदेय कटौत्रा की जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में सुधार न होने की दशा में संबंधित का 1 माह का वेतन राजसात किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में 2 मई को कार्य की प्रगति की पुन: समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, आयुक्त नगर निगम सोमनाथ झारिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रजनीश सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री अनुराग सिंह, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी, चिकित्सक तथा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वदेश
29/4/2022

## कचरा, गंदगी व अतिक्रमण करने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 28 अप्रैल को 10 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार शाहरुख अंसारी, गोस्वामी ऑटो गैरेज, भवानी ऑटो पार्ट्स, त्रिदेव गैस अप्लायसेंस, शंकर प्रजापत पर 2000-2000, शंखेश्वर मेडिकल पर 1500, सांई मेडिकल एजेन्सी पर 1500, लखन बैण्ड, गोपाल बैण्ड व हबीब खान पर 500-500 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई। 29-4-22

इन्दौर

## 4 मवेशी पालकों पर 1000-1000 का जुर्माना

रतलाम ● मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर में ऐसे मवेशी पालक जो कि जानबूझकर अपने मवेशियों को सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर खुला छोड़ देते है उन पर जुर्माने की कार्यवाही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा प्रारंभ कर दी गई जिसके तहत 4 मवेशी पालकों पर 1000-1000 की राशि का जुर्माना किया गया।

29-4-22

## गंदगी करने पर सज्जन मिल रोड क्षेत्र की 4 दुकानें सील

रतलाम। नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं।

खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन व दुकानें सील करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत सज्जन मिल रोड क्षेत्र में गोस्वामी ऑटो सेन्टर, लकी शॉकप रिपेयरिंग सेन्टर, भवानी ऑटो पार्ट्स व त्रिदेव गैस अप्लासेंस को गंदगी करने पर सील किया गया।

राज एक्सप्रेस 29/4/22

## अतिक्रमण, कचरा और गंदगी करने पर जुर्माना

रतलाम | खुले में कचरा डालकर गंदगी और अतिक्रमण करने पर गुरुवार को नगर निगम अमले ने 10 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया। शाहरुख अंसारी, गोस्वामी ऑटो गैरेज, भवानी ऑटो पार्ट्स, त्रिदेव गैस अप्लायसेंस, शंकर प्रजापत पर 2000 रुपए, शंखेश्वर मेडिकल पर 1500 रुपए, सांई मेडिकल एजेंसी पर 1500 रुपए , लखन बैंड, गोपाल बैंड व हबीब खान पर 500 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया।

भास्कर

## गंदगी करने पर 4 दुकानें सील

रतलाम । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन व दुकानें सील करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 27 अप्रैल बुधवार को सज्जन मिल रोड क्षेत्र में गोस्वामी ऑटो सेन्टर, लकी शॉकप रिपेयरिंग सेन्टर, भवानी ऑटो पार्ट्स व त्रिदेव गैस अप्लासेंस को गंदगी करने पर सील किया गया।